



प्रथम अध्याय  
शोध परिचय

## अध्याय प्रथम

# शोध परिचय

### 1.1 प्रस्तावना -

बाल विकास की प्रारम्भिक अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा को प्रारम्भिक बाल शिक्षा (ई.सी.ई.) कहते हैं। यह शिक्षा बच्चों को औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के पूर्व प्रदान की जाती है। इसलिए इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं।

किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के लोगों का सामाजिक स्वास्थ्य व शिक्षा पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की शुरुआत के प्रथम 6 साल में बच्चों के विकास की दर सर्वाधिक होती है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बाल शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। तब से लेकर आज तक प्रारम्भिक बाल देखभाल शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के क्षेत्र में सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनेक ई.सी.सी.ई. के केन्द्र खोले व शुरू किये गए हैं।

बच्चों के विकास कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रम में सर्वप्रथम 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई। इसकी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐच्छिक संस्थान आगे आई तथा ग्रामीण क्षेत्र में महिला मण्डल तथा बालबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके पश्चात् 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, जिसके फलस्वरूप 1975 में समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के विकास तथा शिक्षा के कार्यक्रमों का निर्धारण हुआ और प्रारम्भिक बाल शिक्षा का विकास हुआ। उच्च गुणवत्ता युक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के आगे के जीवन के लिए तैयार करती है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए N.C.E.R.T. द्वारा किये गये एक संशोधन के अनुसार पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के प्रभाव से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन व ठहराव बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 92 में पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में खेल पद्धति द्वारा शिक्षा को महत्व दिया गया है और बच्चों को इस अवस्था में लेखन, वाचन व गणित सिखाना मुनासिब नहीं माना है।

निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों के लिए गुणात्मक पूर्व प्राथमिक शिक्षा अत्यन्त जरूरी है। जो उन्हें अच्छा वातावरण व अनुभव प्रदान कर सकें। मध्यम व उच्च स्तर के लोगों में कुटुम्ब विभाजन का प्रश्न यक्ष बनता जा रहा है और कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बन चुकी है।

यशपाल कमेठी ने भी पूर्व प्राथमिक अवस्था में श्री आर. (वाचन,लेखन,गणित) सिखाने को मुनासिब नहीं माना है इस अवस्था में बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार पद्धति को बंद करने पर भार दिया है। पिछले कुछ वर्षों के दरम्यान ई.सी. ई. क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि देखी गई है। शहरी क्षेत्र में नर्सरी विद्यालय और किण्टर गार्टन कुकुरमुत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में जागृति आई है। कई राज्यों में बालवाड़ी व ऑगनवाड़ी बच्चों के विकास के लिए कार्यरत है।

## 1.2 विभिन्न आयोगों की अनुशंसाएँ

### 1. सार्जेण्ट कमीशन

1. किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के लिए नर्सरी स्कूलों या कक्षाओं के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधा जुटाना एक अनिवार्य वस्तु है।

2. नगर क्षेत्रों में जहाँ उचित परिधि में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध हैं। पृथक नर्सरी स्कूल अथवा विभाग जुटाए जा सकते हैं। दूसरे स्थानों पर नर्सरी स्कूलों को जूनियर प्राइमरी स्कूलों के साथ जोड़ देना चाहिए।
3. नर्सरी स्कूल और कक्षाओं के लिए महिला अध्यापिकाएँ होनी चाहिए जिन्हें इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण मिला हो।
4. पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक दिशा में निःशुल्क होनी चाहिए। जिस समय उपस्थिति को अनिवार्य बनाना संभव न जान पड़े तब माता पिता को अपने बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल में भेजने की प्रेरणा देने वाला कोई भी प्रयत्न अछूता नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर असंतोष या ऐसी स्थिति में जबकि माताएँ बाहर काम पर जाने की अभ्यस्त हो।
5. इस अवस्था के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें बच्चों की औपचारिक शिक्षा के स्थान पर सामाजिक अनुभव देना है।
6. नर्सरी स्कूलों और कक्षाओं में सामान्यतः 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा के आधार पर 10,00,000 स्थानों के लिए व्यवस्था की गई है।

## 2. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अवस्था में विविध प्रकार के नर्सरी स्कूल कुछ राज्यों में विद्यमान हैं लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर इस अवस्था में बालक को सहयोग भावना के द्वारा पढ़ने के आनंद से और मनोरंजन की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है तथा शनैः जीवन की उचित आदतों, स्वच्छता और जीने के अच्छे साधनों, साथ ही सामाजिक आदतों के विकास की ओर, जो कि आगे चलकर समुदाय की सही प्रवृत्ति के लिए अत्यावश्यक है, उसका पथ प्रदर्शन किया जाता है। कई राज्यों में गैर सरकारी संगठनों या मिशनों के द्वारा चलाए गए कुछ ऐसे नर्सरी स्कूल हैं, और जहाँ वे भली प्रकार से विस्थापित हैं, जिन्हें अभी साधारण कार्य करना है।

नर्सरी स्कूलों के अधिक प्रसार के मार्ग में, निहित लागत और प्रशिक्षित अध्यापकों की अत्यंत सीमित संख्या बाधक है। नर्सरी स्कूलों में प्रविष्ट होने की कुछ राज्यों में यह 3 से 5 के बीच है और कुछ में बच्चों के 7 वर्ष की आयु होने पर शिक्षा दी जाती है।

### 3. भारतीय शिक्षा आयोग 1966

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक भावात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बड़े महत्व की है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी पृष्ठभूमि असंतोषजनक है। सन् 1986 तक पूर्व स्कूली कक्षाओं में 3.5 वयोवर्ग में 50 और 5-6 वयोवर्ग में 50 नामांकन एक उचित लक्ष्य होगा।
2. आगामी 20 वर्षों के पूर्व प्राथमिक शिक्षा को निम्नलिखित मार्गों पर उन्नति करनी चाहिए-
  - प्रत्येक जिले में और शिक्षा के प्रत्येक राज्य संस्थानों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास देखभाल और पथ प्रदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान व जिले में एक-एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।
  - गैर सरकारी उद्यम को पूर्व प्राथमिक केन्द्र खोलने और चलाने के लिए अधिक जिम्मेदार बना देना चाहिए, जबकि राज्य समानता के आधार पर उन्हें सहायतार्थ अनुदान दें।
  - पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रयोगात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए विशेषकर इसे बढ़ाने के कम खर्च के ढंग को।
  - प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों द्वारा निर्देशित बच्चों के खेलकूद के केन्द्र जहाँ तक संभव हो, प्राथमिक स्कूलों से ही जुड़े हुए शिशु रक्षा से औपचारिक स्कूल शिक्षा में परिवर्तन को आसान बनाने में सहायक होंगे।

- राज्य को चाहिए कि वह राज्य और जिला स्तर पर खेलकूद के केन्द्र स्थापित करे। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करे; पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शोध साहित्य के निर्माण की देखभाल करे। पूर्व प्राथमिक और प्रशिक्षण संस्थाओं की देखभाल करे और उनको मार्ग सुझाए। गैर सरकारी संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान दें तथा आदर्श प्राथमिक स्कूल चलायें।
- 3. पूर्व प्राथमिक स्कूलों के कार्यक्रम लचकदार होना चाहिए और इनमें विभिन्न प्रकार के खेल तथा खेल संबंधी गतिविधियों के साथ ही ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित शिक्षा शामिल होनी चाहिए।
- 4. पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बीच तालमेल बनाए रखना चाहिए।

#### 4. संसद संदस्यों की समिति 1967

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है और सुझाव पेश किया गया है कि गैर सरकारी संस्थाएँ ऐसे स्कूलों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन की अधिकारी है।

#### 5. श्रीमती स्वामी नाथन समिति 1974

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है उसका समन्वय होना चाहिए।
2. अर्धकालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय शिक्षित महिलाओं को इस काम पर लगाना चाहिए।
3. ऐसे कर्मचारियों को संक्षिप्त अवधि की ट्रेनिंग देनी चाहिए।

पूर्व स्कूल शिक्षा संस्थाओं नर्सरियों के जैसों को प्रोत्साहित करने का आयोग का सुझाव ठीक ही है, इससे प्रारंभिक शिक्षा का स्तर संभवतः बढ़ेगा।

### 1.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता

गांधीजी ने सत्य ही कहा है कि बच्चा जो कुछ जीवन के प्रथम पांच वर्ष में सीखता है, परवर्ती जीवन में कभी नहीं सीखता शिशु की शिक्षा उसके गर्भाधान से ही प्रारंभ होती है वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है वास्तव में यह शिक्षा जन्म से ही आरम्भ होनी चाहिए लेकिन दो वर्ष की आयु तक बच्चा अधिक छोटा होने के कारण शिक्षा को आरम्भ नहीं किया जा सकता इसलिए 3-6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। इसकी आवश्यकता को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है।

#### ❖ भावी जीवन के लिए तैयारी

पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक तरह से देखा जाए तो भावी जीवन के लिए नींव का कार्य करती है। जिससे बालक शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लाभान्वित होता है।

#### ❖ आरम्भिक निरीक्षण

कई बार ऐसे मामले सामने आये है कि वयस्क उम्र के लोग अनेक तरह के विचारों व शारीरिक कुरूपता से ग्रसित हो जाते हैं और ये पाया गया है कि कोई भी रोग तभी नहीं पनपते बल्कि इनकी शुरुआत आरंभिक अवस्था से ही हो जाती है।

#### ❖ प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयारी

पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करती है। ताकि जब वह उसमें प्रवेश लें तो किसी भी तरह की कठिनाई महसूस न करें (वाचन, लेखन, बोलना, खेलना, एक स्थान पर कुछ समय के लिए बैठना)। एक तरीके से यह बालक को विभिन्न पहलुओं की आदत डलवाती है जो प्राथमिक विद्यालयों में आरंभ होते हैं।

#### ❖ बाहरी वातावरण से अनुकूलता

जब बालक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहाँ का बगीचा, खिलौने, पर्याप्त खेल सामग्री, संतुलित खुराक व स्वास्थ्यप्रद भोजन विद्यालय का अनुशासित दैनिक कार्य अन्य गतिविधियाँ सब उसे आकर्षित करते हैं। जिससे वह खेल-खेल में शिक्षा भी लेता है। इस वातावरण में रहने के साथ ही उसमें अनुकूलता बढ़ती ही जाती है और आगे चलकर काम आती है।

#### ❖ कामकाजी महिलाओं को सुविधा

सार्जेन्ट आयोग (1944) के शब्दों में राज्य का कर्तव्य है कि वह मुक्ति के लिए सजग, इसके भावी नागरिकों और उसके जन्मदाताओं दोनों के मुक्ति के लिए उज्ज्वल सामग्री से पूर्ण और उपर्युक्त अध्यापकों से युक्त नर्सरी स्कूलों की सुविधा उपलब्ध कराये ताकि बच्चों की उचित देखभाल की जा सके।

### 1.4 पूर्व प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम का स्तर

भारत के दस शहरों की प्रतिष्ठित विद्यालयों के सर्वेक्षण से पता चलता कि राष्ट्रीय शिक्षानीति के ई.सी.ई. के लिए जो मानदण्ड तैयार किये गये हैं वो केवल कागज पर ही रह गये हैं। अभ्यासक्रम के सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि उनके लिए जो अभ्यास क्रम तैयार किया जाता है वो ऐसा है कि जिसके प्रति बालक न तो मानसिक रूप से तैयार होता है और न ही शारीरिक रूप से। बालकों को प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार लिया जाता है। जिसके कारण वंचित होने पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। जिससे उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है।

हम ऐसा मानते हैं कि बालको का जन्म गृहकार्य व परीक्षा देने के लिए ही हुआ है। जिस विद्यालय में खेल के द्वारा शिक्षा पद्धति का उपयोग हो रहा है। वहाँ भी वह पूरक



प्रवृत्ति के लिए ही है न की शिक्षा की मुख्य प्रवृत्ति के लिए। कई घटनाओं में पूर्व प्राथमिकशाला में प्रवेश के लिए माता-पिता का साक्षात्कार लिया जाता है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इस प्रकार के शिक्षा क्रम की आवश्यकता ही नहीं है। उसे 6 वर्ष की अवस्था इन्द्रिय विकास, मांसपेशियों का संगठन, स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण, क्रीड़ा द्वारा आनन्द की अनुभूति और पर्यवेक्षण द्वारा बाहरी वातावरण को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यह ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान के प्रयोग की अवस्था नहीं है। इसी कारण मांटेसरी व फोब्रेल ने इन्द्रिय प्रशिक्षण, बालवाड़ी (किण्डरगार्टन) और क्रीड़ा पर बल दिया।

## 1.5 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

शैक्षिक विकास में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में इसका एक निश्चित स्थान है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को घर से विद्यालय या अनौपचारिक वातावरण से औपचारिक वातावरण में प्रवेश करने में मदद करता है।

सामान्य उद्देश्य-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा पढ़ना-लिखना, पूर्व तैयारी, ज्ञानात्मक भाषा और अन्य शारीरिक कौशल, सामाजिक विकास आदि कराती है। यह प्राथमिक विद्यालय में अच्छे सामायोजन करने के लिए तैयार करती है ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाया जा सके।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम गतिविधि व अनुभवों पर जोर देता है। इसका लक्ष्य है बालक का हारमोनियस विकास, वातावरण के साथ अन्तःक्रिया को प्रोत्साहन समूह गतिविधि में सक्रिय सहभागिता द्वारा व सृजनात्मक समस्या समाधान आदि के द्वारा हो सके।

शिक्षा आयोग द्वारा वृहत सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है-

- ❖ बच्चों में मौलिक गत्यात्मक कौशल, मांसपेशीय समन्वय व शारीरिक आचरण का विकास करना।
- ❖ व्यक्तिगत समायोजन जैसे (पहनना, खाना, धोना, साफ करना) के लिए अच्छी स्वास्थ्य आदत व मूलभूत कौशलों को विकसित करना।
- ❖ उचित सामाजिक अभिव्यक्ति व आचरण व स्वस्थ समूह सहभागिता की आदत का विकास व दूसरों के अधिकार के प्रति संवेदनशील बनाना।
- ❖ सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण को प्रोत्साहित करना।
- ❖ विश्व को समझने में सहायता देना और बौद्धिक जिज्ञासा को उत्प्रेरित करना।
- ❖ देखने, जांचने व प्रयोग के अवसर देकर नई रुचियों को बढ़ावा देना।
- ❖ बच्चे में स्वयं के विचारों को प्रस्तुत करना व बोलने की योग्यता को विकसित करना।

यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट “दी वर्ल्ड सर्वे ऑफ प्री-स्कूल एजुकेशन” जिसमें सामाजिक शैक्षिक, विकासात्मक लक्ष्यों को बच्चों की देखभाल के ऊपर जोर दिया गया है उसके अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य है। -

- सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना।
- वैयक्तिक स्तर पर बच्चे की क्षमता का विकास करना।
- समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए अवसर प्रदान करना तथा अनुकूलता व सहयोगी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।

विशिष्ट उद्देश्य-

1. सामाजिक व संवेगात्मक विकास

- सुरक्षा की भावना का विकास करना।
- सामूहिक गतिविधियों में सहभागिता का विकास करना।
- उचित व्यक्तिगत व सामाजिक आदतों का विकास करना।
- व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता का विकास करना।
- सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना।

#### 2. शारीरिक व गत्यात्मक विकास-

- शारीरिक वृद्धि के रख-रखाव की आदतें विकसित करना।
- मांसपेशीय समन्वय का विकास करना।

#### 3. भाषा विकास-

- सुनने के कौशल का विकास करना।
- शाब्दिक कौशल का विकास करना।
- शब्दावली का विकास करना।

#### 4. ज्ञानात्मक विकास-

- संकल्पना के प्रारूपों में मदद करना जैसे आकार, रंग, जगह, समय, घर, वातावरण आदि।
- समस्या समाधान वर्गीकरण व व्यवस्थित विचारधारा के कौशलों का विकास करना।

### 1.6 पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व-

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालकों के सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- पहले 6 साल जीवन के क्रिटिकल साल माने जाते हैं क्योंकि बालक के जिन्दगी में इन सालों में विकास बहुत गतिशील होता है। अन्य सालों के विकास की अपेक्षा।

- इन सालों में बालकों की अधिक उत्प्रेरक वातावरण की जरूरत है ताकि वे अपनी क्षमताओं का सही दिशा में विकास कर सकें।
- वर्तमान में माताएँ घर से बाहर कार्य कर रही हैं और पारम्परिक संयुक्त परिवार
- प्रणाली टूट रहीं हैं। अभिभावकों की अलग तरह की जीवनशैली पनप रहीं हैं और शायद बालक इस वातावरण में उत्प्रेरित नहीं हो रहे।
- वे बालक जो सुविधाहीन भागों से हैं, जिनके माता-पिता शिक्षित नहीं हैं वे प्रभावी अन्तःक्रिया न तो बच्चे न ही दूसरों के साथ कर पाते हैं। उन्हें भाषात्मक व ज्ञानात्मक कौशलों में विकसित करना। जिनके पास खिलौने, किताबें, खेल सुविधा आदि की कमी है यदि इन्हें इस तरह का वातावरण पहले 6 सालों में दिया जाये तो उनका विकास भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। विशेषकर उसका बौद्धिक व भाषा विकास नहीं होगा।
- बाल शिशु शिक्षा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ई.सी.ई. कार्यक्रम बच्चों को उत्प्रेरक अनुभव दे रहा है ताकि उनका ज्ञानात्मक भाषा, शारीरिक, सामाजिक, व सवैगात्मक विकास प्रभावी हो सके।

यह कार्यक्रम बच्चों को मजबूत आहार देने में सहायता करता है। जिनकी क्षमता का विकास सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं हुआ है।

### 1.7 ई.सी.ई. कार्यक्रम के उद्देश्य-

1. बच्चे में अच्छे मांसपेशीय समन्वय और आधारभूत गत्यात्मक कौशलों का विकास।
2. बच्चों में खाने, धोने, साफ करने आदि व्यक्तिगत समायोजन के लिए उचित आदतों का विकास करना।
3. स्वस्थ समूह सहभागिता एवं दूसरों के अधिकारों व विचारों का सम्मान करना सिखाना।

4. बालक में संवेगात्मक स्थिरता का विकास करना ताकि वह अपनी भावनाओं व विचारों को व्यक्त कर सके, समझ सके।
5. सौन्दर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण को प्रोत्साहित करना।
6. जिस विश्व में वह रहता है उसके बारे में जागरूकता को और उत्प्रेरित करना।
7. बच्चे को स्वतंत्र माहौल देना सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए उचित अवसर प्रदान करना ताकि वह स्वयं को व्यक्त कर सके।
8. बच्चे में अपने विचारों व भावों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।

#### ई.सी.ई. का महत्व-

- प्रारंभिक बाल शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- पहले 6 साल जीवन के क्रिटिकल साल माने जाते हैं क्योंकि बालक की जिन्दगी में इन दोनों सालों में विकास बहुत गतिशील होता है। अन्य सालों के विकास की अपेक्षा।
- इन सालों में बालकों को अधिक उत्प्रेरक वातावरण की जरूरत है ताकि वह अपनी क्षमताओं का सही दिशा में विकास कर सके।
- वर्तमान में माताएँ घर से बाहर कार्य कर रही हैं। पारम्परिक संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है। अभिभावकों की अलग तरह की जीवनशैली पनप रही है। बालक इस वातावरण में उत्प्रेरित नहीं हो रहे हैं।

यह कार्यक्रम बच्चों को मजबूत आधार देने में उनकी सहायता करता है। जिनकी क्षमता का विकास सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं हुआ।

## 1.8 एकीकृत बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) -

सन् 1995 में सरकार द्वारा एक व्यापक व एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जो सभी पूर्व के अनुभवों, मांगों व सुझावों पर आधारित था। इसके उद्देश्य जो अंतः संबंधित थे। इसमें स्वास्थ्य जाँच, उपचार सेवा, पूरक पोषण आहार, रोगों से बचने के उपाय, अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा और औरतों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण आहार शिक्षा।

एकीकृत बाल विकास परियोजना एक बाल हितकारी योजना है। एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम ग्रामीण, श्रमिक बस्तिया, पिछड़ी जनजाति वाले स्थानों पर केन्द्रित है। एकीकृत बालविकास परियोजना पैकेज में ऑगनवाड़ी है जिन्हें स्थानीय आधार पर चलाया जा रहा है।

ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण विशिष्ट परीक्षण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। 1975 से आई.सी.डी.एस. योजना द्वारा 33 प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट द्वारा प्रारंभ किये गये थे और इसका क्षेत्र हर साल तेजी से बढ़ रहा है।

## 1.9 एकीकृत बाल विकास सेवाएं, योजना क्यों?-

- देश के मानवीय साधनों के विकास के लिए।
- शैशव अवस्था में ही शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की नींव रखने के लिए।
- शिशु मृत्यु दर, शारीरिक विकलांगता, पाठशालाओं में स्थिरता कम विकसित क्षमता से उत्पन्न होने वाले अपव्यय में कमी करने के लिए।
- बाल विकास के क्षेत्र में आत्मविश्वास तथा सामुदायिक संयोग को बढ़ावा देने के लिए।

## 1.10 एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के उद्देश्य-

- 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोष्टिकता तथा स्वास्थ्य को बढ़ाना।

- बच्चों की सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना।
- बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण, पाठशाला को छोड़ने की प्रकृति कम करना।
- बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना।

उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य 6 संगठक सेवायें निम्नानुसार हैं।-

1. पूरक पोषण आहार।
2. स्वास्थ्य जांच।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल।
4. टीकाकरण।
5. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा।
6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में सुविधा है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंगनवाड़ी में उसे 6 वर्ष के बालकों के लिए अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पूरक पोषाहार की व्यवस्था करना, महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा देना, कार्यक्रम चलाने के लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करके उन्हें कार्यक्रम में शामिल करना, आई.सी.डी.एस. के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में सहयोग देना, प्राथमिक उपचार, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे- पंचायत, महिला मण्डल, स्कूल अध्यापक आदि के द्वारा कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त किया जाता है। इन सभी कार्यों को आंगनवाड़ी में किया जाता है। इससे समुदाय को अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तथा ये बालको की उचित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठाते हैं। इसके द्वारा बालकों की विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जो विद्यालय में प्रवेश लेने पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है।

## 1.11 आंगनवाड़ी-

आंगनवाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा मलिन एवं श्रमिक बस्तियों में खोली जाती है। एक आंगनवाड़ी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार जनसंख्या पर व आदिवासी क्षेत्रों में सात सौ जनसंख्या पर होती है।

**भौतिक सुविधाएं :-** आंगनवाड़ी को संचालित करने के लिए मानदेय किराया पर भवन की व्यवस्था की जाती है। जो की सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आंगनवाड़ी में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए गेंद, रंग, कैंची, एक अलमारी, कुर्सी, मेज, दरी, राष्ट्रीय झण्डा, घड़ा, प्राथमिक उपचार सामग्री, स्वास्थ्य कार्ड चार्ट, बाथरूम, खिलौने आदि।

**आंगनवाड़ी की देखरेख :-** क्षेत्र से ही संबन्धित महिला जो हायर सेकण्डरी हो उसे आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन के लिए चयनित की जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्र सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कार्य करता है। 3-6 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए यहां आते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता उनके घरों पर जाकर मिलते हैं। जहां गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विभिन्न जानकारी बताते हैं।

**आंगनवाड़ी दैनिक गतिविधियाँ :-** सामान्य गतिविधियाँ जो एक आंगनवाड़ी बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए करती है, प्रतिदिन बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देंगे। यदि बच्चा स्वच्छ नहीं है, तो उसे साफ करेंगे।

**आई.सी.डी.एस.** के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं।

- बच्चों में उचित शारीरिक व मांसपेशीय समन्वय का विकास करना।
- बच्चों में सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता एवं उत्सुकता का विकास करना।
- बच्चों में उपलब्ध क्षमता व शक्ति को सही व्यवहार व कार्यों के प्रति झुकाव तथा मानवीय मूल्यों का विकास करना।



➤ बच्चों को अपनी भावनाओं को अपने भाषा में व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।

इन उद्देश्यों के आधार पर निम्न क्रियाकलाप होने चाहिए।

- खेल
- कहानी
- गीत गाना
- पंखी जानवर, पौधे व अन्य प्राकृतिक चीजों के चार्ट
- कला चित्रकारी, मिट्टी के मॉडल, कागज के खिलौने, मोतियों के खेल, विभिन्न रंग व आकार की वस्तुओं को क्रमबद्ध करना
- वार्तालाप

खिलौने व अन्य चीजे स्थानीय लोगों की सहायता से बनवाकर या बच्चों को प्रोत्साहित कर इन खिलौने को एकत्र करवाया जा सकता है। बच्चों को अवसर देना तथा खेलने का स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित माहौल देना।

#### **भ्रमण व अभिलेख :-**

उन घरों में जहां गर्भवती होती महिलाएं है उनसे मिलना व सहायता करना। गंभीर माताओं व बच्चों को अस्पताल भेजना कार्यकर्ताओं द्वारा विशिष्ट अभिलेखों का रख-रखाव किया जाता है।

#### **टीकाकरण :-**

बालविकास परियोजना अधिकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मिलकर टीकाकरण की तारीखें निश्चित करता है। कार्यकर्ता बच्चों व माताओं की एक सूची बनाता है जिन्हें पूरे टीके नहीं लगे। तारीख निश्चित होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों व गर्भवती माताओं को केन्द्र पर ले जाते है व टीकाकरण करवाते हैं। प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से अभिलेख रखा जाता है। नवजात शिशु का हर माह वजन व उसका अभिवृत्ति चार्ट बनाना, आयरन

की गोलियाँ, विटामिन की गोलियाँ बच्चों व माताओं को देना।

### आंगनवाड़ी के कार्य :-

- ❖ 6 वर्ष से कम आयु के बालको की संख्या का पता लगाना।
- ❖ जन्म व मृत्यु के आंकड़ों को इकट्ठे करना।
- ❖ अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- ❖ पोषण स्वास्थ्य शिक्षा देना।
- ❖ टीका लगाने संबंधित जानकारी देना।
- ❖ कुपोषित बालकों को चुनना पूरक पोषण आहार के लिए।
- ❖ उन सभी बालकों को चुनना जिन्हें टीका नहीं लगा है।
- ❖ इन कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए इन्हें विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाकर रखना।
- ❖ स्वास्थ्य विभाग से संपर्क रखकर इसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाना।
- ❖ बालको को सृजनात्मक विकास के संबंध में कार्यक्रमों को निर्माण करना जैसे- कहानियाँ, गीत, रंगज्ञान।
- ❖ बच्चों में भाषा का विकास करना।
- ❖ बच्चों का शारीरिक विकास करना।
- ❖ मानवीय मूल्यों का विकास करना (सहयोग, ध्येय, सत्यवादिता,)

### 1.12 समस्या कथन -

प्रस्तुत शोध में समस्या को निम्नलिखित रूप में शब्दांकित किया गया है -  
पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अध्ययन (जलगाँव जिले के संदर्भ में)

## 1.15 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व -

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आँगनवाड़ी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जिससे 6 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त हो सके। पूर्व प्राथमिक देखभाल व शिक्षा बालक के आगे के वर्षों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाये जा रहे आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। इस कार्यक्रम के लिए आई.सी.डी.एस. के कुछ मानदण्ड निर्धारित किये हैं।
- शोधकर्ता द्वारा इन्हीं आँगनवाड़ियों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है। इस संदर्भ में सीमित अध्ययन हुआ है। अतः इस शोध की महत्ता अधिक है। शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि जो मानदण्ड आई.सी.डी.एस. ने आँगनवाड़ियों के लिए बनाए हैं। क्या वे उसी के अनुरूप अपना कार्य कर पा रहे हैं या नहीं? उनके पास सुविधाएँ हैं या नहीं ? इन सभी घटकों को देखने के लिए यह अध्ययन करना चाहता है।

## 1.16 शोध कार्य की परिसीमाएँ -

1. प्रस्तुत अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के जलगाँव जिले तक सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन जलगाँव जिले के अमलनेर तहसील की 10 आँगनवाड़ियों तक ही सीमित है।
3. प्रस्तुत अध्ययन आँगनवाड़ियों के कार्यकर्ताओं तक ही सीमित है।
4. प्रस्तुत अध्ययन आँगनवाड़ियों के क्रियान्वयन तक ही सीमित है।